



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-2317/TS/42/2023-ESDW

दिनांक: 18.07.2024

सेवा में,

श्रीमती किरन,
पत्नी अमित कुमार,
ग्राम/पोस्ट-रामगढ़, परगना जहूराबाद,
थाना/तहसील-कासिमाबाद,
जिला-गाजीपुर,
उत्तर प्रदेश-275201
फोन नं. 8002880324

विषय: जाति प्रमाण पत्र निर्गत न करने के संबंध में श्रीमती किरन, पत्नी अमित कुमार, ग्राम/पोस्ट-रामगढ़, परगना जहूराबाद, थाना/तहसील-कासिमाबाद, जिला-गाजीपुर, उत्तर प्रदेश-275201 से दिनांक 13.09.2023 का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

निर्देशानुसार आपको सूचित किया जाता है की आयोग की माननीया सदस्य (डॉ. आशा लकड़ा) ने आपके मामले में सम्बंधित प्राधिकारियों के साथ दिनांक 25.07.2024 को अपराह्न 04:40 बजे आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में बैठक तय की है। सम्बंधित प्राधिकारी को आयोग में उपस्थित होने के लिए अलग से सूचित कर दिया गया है।

2. अतः आपसे अनुरोध है की उक्त सुनवाई/सिटिंग की तिथि को आयोग में उपस्थित होने का कष्ट करें।

(एच. आर. मीना)
अनुसंधान अधिकारी

ई-मेल: researchofficer-esdw@ncst.nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. माननीया सदस्य महोदया (अ.ल.) के निजी सचिव।
2. एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।